

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री छीतरसिंह

किस्म मुकदमा - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या 38/19 तारीख रजू 07/08/19 निर्णय दिनांक 26/08/19

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री शिवचरन पुत्र भगवत जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मिलकपुर ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री शिवचरन पुत्र भगवत जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना ने ग्राम मिलकपुर की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 1549 में कुल 0.11 हैक्टे में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर फसल खरीफ सम्वत् 2076 में अनाधिकृत रूप से पत्थर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि अतिक्रमण पश्चातवर्ती है इसलिए अतिचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 20/08/19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल उपस्थित नहीं आया। उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में गैर सायल द्वारा ना तो अपना कोई जबाव पेश किया गया न ही कोई अतिक्रमण से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। गैर सायल अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अतिक्रमण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्वत् 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमण घोषित किया जाता है। गैर सायल पूर्व में भी मौके से बेदखल किया गया था फिर भी गैर सायल ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है इससे यह साबित होता है कि गैर सायल बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। जो पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण आराजी की किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग में आता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरुद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेंगे और अतिक्रमण को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिलेगा। अतः फसल खरीफ में अतिचारी श्री शिवचरन पुत्र भगवत जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना को ग्राम मिलकपुर की सिवायचक भूमि खसरा नं 1549 में रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.31 रुपये का पचास गुना राशि 16 रुपये की शास्ति आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर अतिक्रमण भूमि पर अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार बेदखली, सामग्री जब्ती, नीलामी एवं वसूली हेतु संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयानवाली का नाम बयानवाली

वा. वे. सं. 04 के पेश नं. 3

दिनांक 3-9-19 का बयान 19-20 के

वेकस्टो क. 16 फसल मीनावाली

क. 16 को वा. वकी है।

3-9-19

बयानवाली राजस्व वेकस्टो

बयानवाली

तहसीलदार
बयाना